

Manglam
aadhar
perfect homes
1&2 BHK APARTMENTS

5 परफेक्ट लोकेशन्स

- वैशाली एस्टेट, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर
- श्रीकृष्णावन, भाँकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर
- कनक वाटिका, टोंक रोड़, शिवदासपुरा, जयपुर
- मंगलम इन्डस्ट्रीयल सिटी, चौमू
- मंगलम ग्रीन्स, नोखा रोड़, बीकानेर



Manglam Build-Developers Limited

6TH FLOOR, APEX MALL, LAL KOTHI, TONK ROAD, JAIPUR-302015 (RAJASTHAN)

Fax: 0141-4036320 Website : www.manglamgroup.com | email : info@manglamgroup.com

For Site Visit & Booking : **0141-4311199**

Disclaimer: This printed material does not constitute any form of agreement and all the purchases shall solely be governed by the terms of the agreement for sale. All finishes are subject to change at the discretion of the Developer and / or the Architects. The images used in this brochure are for illustration purpose only whereas the rendered images are close to actual.

आवेदन फार्म



क्रमांक संख्या



आपका सपना हमारा प्रयास

प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत

Dot 'W' Dashr @ 0141-2221991, +91-98292 31611



1&2 BHK APARTMENTS

प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना

के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग के फ्लैटों के आवेदन/आवंटन हेतु मार्ग दर्शिका

योजना की विशेषताएं

आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग के परिवारों को सस्ते व नियोजित योजना में आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा जारी की गई जन आवास योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत इस मार्गदर्शिका में वर्णित विवरण के अनुसार आवेदकों द्वारा आवासों के आवेदन/आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है।

इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3,00,000/- (अक्षरे रूपये तीन लाख मात्र) रूपये तक होने पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु एवं आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रु. 6,00,000/- (अक्षरे रूपये छः लाख मात्र) तक होने पर अल्प आय वर्ग (LIG) के आवासों के लिए आवेदन किया जा सकता है।

प्रथम आवेदक
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

द्वितीय आवेदक (यदि कोई हो)
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

आवेदक की पात्रता

1. आवेदक/संयुक्त आवेदक महिला होना आवश्यक है।
2. आवेदक की आयु आवेदन की तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
3. आवेदक के पास स्वयं के, पत्नि/पति के और आश्रित सदस्य (अविवाहित बच्चों सहित) के नाम राजस्थान के किसी भी शहरी क्षेत्र में मकान या प्लाट ना हो जिसका शपथ पत्र आवेदन के साथ देना होगा।
4. किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये अथवा आवेदक कम से कम पिछले एक वर्ष से राजस्थान में निवास कर रहा हो।
6. राजस्थान राज्य से बाहर के नागरिक जो कि गत एक वर्ष से अधिक समय से राजस्थान में निवास कर रहे हो, वे भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन लॉटरी में राजस्थान राज्य के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी।
7. आवेदक को आय प्रमाण पत्र एवं शपथ-पत्र (एफिडेविट) नोटरी से सत्यापित करवा कर देना होगा।
8. वेतनभोगी आवेदकों को अपने नियोक्ता द्वारा प्रमाणित आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा व गैर वेतनभोगी (स्व-रोजगार) आवेदकों को तहसीलदार/मुनिसिपल ऑफिसर/एसडीओ अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्व-सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निवास के पते का प्रमाण यथा पैन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेजात में से स्व-हस्ताक्षरित/सत्यापित दस्तावेज की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दिये गये पते पर ही पत्र व्यवहार किया जावेगा।
11. आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उसके उपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदनकर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें।
12. आवेदकों को यदि समूह में (Bulk Booking) आवासों की मांग हो तो आवासों की उपलब्धानुसार समूह में आवंटन किया जा सकेगा।
13. वार्षिक आय (पति/पत्नी/आश्रितों की आय) के आधार पर आवंटन हेतु पंजीकरण के लिए पात्रता एवं आय नीचे दी गयी तालिका में दर्शाई गई है।

	सेलेबल एरिया (Approx)	आय (वार्षिक)
1 BHK (EWS)	425 वर्ग फुट	3.00 लाख रु तक
2 BHK (LIG)	600 वर्ग फुट	6.00 लाख रु तक

*सेलेबल एरिया में 5 प्रतिशत की प्लस या माइनस होने पर किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं किया जायेगा

14. शारीरिक रूप से विकलांग एवं वरिष्ठ नागरिक आवेदकों को भू-तल एवं प्रथम तल पर आवास आरक्षण में प्राथमिकता दी जायेगी।

प्रथम आवेदक
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

द्वितीय आवेदक (यदि कोई हो)
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

आवंटन की शर्तें

1. आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का निर्माण नहीं करा सकेगा एवं न ही अन्य कोई अनाधिकृत/वाणिज्यिक उपयोग कर सकेगा। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर विकासकर्ता / फर्म द्वारा नोटिस जारी कर एवं सुनवाई के उपरान्त आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।
2. निर्धारित अवधि में विकासकर्ता / फर्म के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा एवं लॉटरी में सफल आवेदकों की सूची विकासकर्ता / फर्म द्वारा जारी की जायेगी।
3. आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना विकासकर्ता / फर्म के पते पर देगा। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में विकासकर्ता / फर्म द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ वरीयता क्रमांक/फार्म क्रमांक अवश्य लिखें। विकासकर्ता/फर्म द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारिता के पश्चात् ही परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में विकासकर्ता/फर्म से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त करनी होगी।
4. आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में विकासकर्ता / फर्म द्वारा किये गये पत्राचार तथा उनकी प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त होने के लिए विकासकर्ता / फर्म के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क में रहना होगा।
5. आय वर्गानुसार परिवार में पति-पत्नि एवं आश्रित में से कोई एक आवेदक ही आवास आवंटन हेतु पात्र होगा।
6. विकासकर्ता/फर्म द्वारा आवास का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्रेषित करने के पश्चात् आवास का कब्जा लेने में विलम्ब करने पर आवंटी द्वारा रख-रखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।
7. आवंटन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों / आदेशों / उप-बन्धों / परिपत्रों के तहत होगा विकासकर्ता/फर्म नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों / के परिपेक्ष में आवंटन नियमों में परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगी और ये पंजीकृत आवेदकों / आवंटियों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।
8. आवेदन राशि बैंक/डी.डी. द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। किसी प्रकार का कोई नकद में लेन देन स्वीकार्य नहीं होगा। विकासकर्ता / फर्म द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य के अलावा किसी भी व्यक्ति या प्रतिनिधि को किसी भी प्रकार के लेन देन के लिये अधिकृत नहीं किया गया है।
9. फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में फ्लैट में निवास करना अनिवार्य होगा। अन्यथा विकासकर्ता / फर्म को ऐसे फ्लैट्स का आवंटन निरस्त कर फ्लैट का कब्जा प्राप्त कर अन्य पात्र व्यक्ति को आवंटन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. लॉटरी द्वारा जो भी फ्लैट आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
11. जन आवास योजना के प्रावधानों में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के प्रावधान लागू होंगे।
12. परियोजना से सम्बन्धित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस, लिफ्ट), बगीचें, पार्किंग सामुदायिक भवन एवं पानी, बिजली, सीवरेज, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसाइटी)/कम्पनी द्वारा निर्धारित संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस बाबत फ्लैट का कब्जा लेने से पूर्व विकासकर्ता/फर्म द्वारा निर्धारित राशि जमा करवानी होगी, जो कि सोसायटी का गठन होने पर सोसायटी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जावेगी भविष्य में सोसायटी द्वारा रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा करानी होगी। रख-रखाव का खर्चा आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डरटेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।

प्रथम आवेदक
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

द्वितीय आवेदक (यदि कोई हो)
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

रिफण्ड के प्रावधान

13. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित की जावेगी। लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जावेगा।
14. इस योजना में आवंटी को आवंटित प्लैट का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्राप्त करने की दिनांक से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य विधिक संस्था को देय समस्त करों एवं राशि (जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, शहरी जमाबन्दी इत्यादि) का भुगतान करना होगा।
15. किसी नुकसान के होने या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य विकासकर्ता / फर्म द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा :-
 - विद्युत / फिटिंग / फिक्सचर
 - सेनेटरी फिटिंग
16. किन्हीं अपरिहार्य कारणों से विकासकर्ता/फर्म योजना में प्रस्तावित स्थान में प्लैट नहीं देने की स्थिति में उसी शहर की अन्य योजनाओं में प्लैट उपलब्ध करवाने के लिए विकासकर्ता/फर्म स्वतंत्र होगी तथा इस विषय पर आवंटी की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। आवंटित किये जाने वाले प्रस्तावित डिजाईन/स्पेसिफिकेशन/साईज आदि में परिवर्तन किये जाने का विकासकर्ता/फर्म को पूर्ण अधिकार होगा।
17. उक्त योजना में किसी दैविक घटना/प्राकृतिक आपदाओं/न्यायालय के स्थगन आदेश/निर्माण सामग्री की अनउपलब्धता के कारण उक्त आवास/योजना की पूर्णता में विलम्ब पर विकासकर्ता/फर्म किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगी।
18. इस आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों के अलावा किसी ब्रोकर/सेल प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई भी वायदा/कमिटेमेन्ट लागू नहीं होगा।
19. फ्लेट पर दी जाने वाली सब्सिडी आवंटी की प्रोफाइल एवं योग्यता पर निर्भर करती है जो सीधे ही भारत सरकार द्वारा आवंटी के खाते में जमा की जावेगी। इसमें विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
20. भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा यदि भविष्य में किसी पॉलिसी, एक्ट, नियमों में कोई परिवर्तन किये जाने पर योजना में पड़ने वाले प्रभाव हेतु विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
21. आवेदक के विधिक उत्तराधिकारी/मुख्याराम तथा अन्य विधिक प्रतिनिधि इस आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों की पालना हेतु बाध्य होंगे।
22. आवेदक को आवेदन से पूर्व परियोजना एवं प्रचलित नियमों की पूर्ण जानकारी प्रदान की जायेगी। लाटरी के पश्चात सफल आवेदकों की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।

1. वरियता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक जमा कराई गई आवेदन राशि लौटाने का लिखित में वेध कारणों सहित आवेदन करता है, तो उसे मूल आवेदन राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेगी।
- 2- वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात आवेदन राशि लौटाने का निवेदन करने पर 10% प्रशासनिक व्यय की कटौती करके शेष आवेदन राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेगी।
- 3- लाटरी के पश्चात आवेदन राशि का मांग पत्र जारी होने के पश्चात राशि लौटाने का आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन राशि की 20 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेगी।
4. यदि आवेदक का आवेदन पत्र किसी कमी के कारण स्वीकार योग्य नहीं होने पर आवेदक की जमा राशि रेखांकित चैक से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर लौटा दी जायेगी। इस अवधि का विकासकर्ता/फर्म द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. आवेदक को लॉटरी द्वारा आवास आरक्षित किये जाने के पश्चात/तालिका 'क' में वर्णित देय राशि जमा कराने हेतु आवेदनकर्ता के पते पर रजिस्टर्ड डाक/कोरियर द्वारा सूचित किया जावेगा। उक्त राशि 30 दिवस में जमा करानी होगी।
6. यदि आवंटी द्वारा मांग पत्र में दर्शाई गई राशि 3 माह तक जमा नहीं कराये जाने पर देय राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय होगा। तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर आरक्षण स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा जमा राशि का 30 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क काट कर शेष राशि लौटाई जा सकेगी।
7. प्रस्तावित योजना यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी आवेदन राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
8. संयुक्त आवेदकों में से यदि कोई एक आवेदक उक्त योजना में प्लैट नहीं लेना चाहता है तो विकासकर्ता/फर्म द्वारा उक्त आवेदन पत्र को निरस्त करते हुए प्रथम आवेदक द्वारा दिये गये पते पर रिफण्ड राशि लौटा दी जावेगी।

लोन एवं सब्सिडी के प्रावधान

1. फ्लैट लेने वाले आवंटी पात्रता के आधार पर वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस बाबत विकासकर्ता/फर्म द्वारा अनाति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किये जावेंगे।
2. भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशानुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लाभार्थी को बैंक से ऋण प्राप्त पर 15 वर्षों की अवधि के लिए अथवा ऋण अवधि के दौरान, इसमें जो भी कम हो, के लिए अधिकतम 2,30,000/- रुपये की सब्सिडी देय होगी।
3. फ्लैट खरीद पर सर्विस टैक्स से पूर्णतया छूट।
4. EWS/LIG के व्यक्तियों को दिये जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि रु 6,00,000/- (छः लाख रुपये) पर ही ब्याज अनुदान देय होगा। रु. 6,00,000/- (छः लाख रुपये) से अधिक की ऋण राशि अनुदान रहित होगी अर्थात् 6,00,000/- (छः लाख रुपये) से अधिक का ऋण गैर सब्सिडी दर पर मिलेगा। ऋण अनुदान की गणना NPV (Net Present Value) के आधार पर होगी।
5. आर्थिक दृष्टि से कमजोर /अल्प आय वर्ग के सफल आवेदकों को अनुदान बैंकों के माध्यम से भारत सरकार की प्रधानमंत्री योजना की CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme) योजना के अन्तर्गत अधिकतम रुपये 6,00,000/- (अक्षरे छः लाख रुपये) की राशि अनुदानित ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो सकेगा।
6. ऋण आधारित सब्सिडी ऋण दाताओं के संस्थानों के माध्यम से लाभार्थी के खाते में अग्रिम रूप से जमा होगी, जिससे प्रभावी आवास ऋण और समान मासिक किस्त (ई.एम.आई.) में कमी आएगी।
7. आवंटी द्वारा ऋण की सुविधा प्राप्त नहीं करने की स्थिति में स्वयं के स्रोतों से फ्लैट की सम्पूर्ण देय राशि विकासकर्ता/फर्म द्वारा जारी मांग पत्र में वर्णित तिथि से पूर्व जमा करानी होगी। सब्सिडी केन्द्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है जिसके लिए विकासकर्ता/फर्म का कोई दायित्व नहीं है एवं आवंटी भारत सरकार की योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।
8. ऋण आधारित सब्सिडी सीधे ऋणी के खाते में केन्द्र सरकार द्वारा प्रेषित की जायेगी।
9. बैंक की शर्तों के अनुसार अधिकतम 90 प्रतिशत ऋण मिल सकता है।
10. आवेदन राशि का बैंकर चैक या डी.डी. **M/s Manglam Build-Developers Ltd.** के नाम बनाया जाये।
11. योजना से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा
- 12- आवंटी फ्लैट के संबंध में भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की पालना के लिए बाध्य होगा।

तालिका 'क'

आवेदक द्वारा देय भुगतान का विवरण
श्री कृष्णावन, कनकवाटिका, मंगलम इन्डस्ट्रीयल, चौमू
एवं मंगलम ग्रीन्स, बीकानेर के लिए

क्र.सं.	अनुसूची	देय राशि
1.	आवेदन शुल्क	10,000/-
2.	लॉटरी द्वारा आवंटन होने पर 30 दिन के भीतर देय राशि	10%
3.	शेष राशि 24 महीनों में प्रत्येक 2 माह के अंतराल में 12 किश्तों में।	7.5% x 12 किश्त

आवेदक द्वारा देय भुगतान का विवरण
वैशाली एस्टेट, गांधी पथ, जयपुर के लिए

क्र.सं.	अनुसूची	देय राशि
1.	आवेदन शुल्क	10,000/-
2.	लॉटरी द्वारा आवंटन होने पर पर 30 दिन के भीतर देय राशि	10%
3.	शेष राशि 36 महीनों में प्रत्येक 2 माह के अंतराल में 18 किश्तों में।	5% x 18 किश्त

प्रथम आवेदक
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

द्वितीय आवेदक (यदि कोई हो)
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी


प्रथम आवेदक
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

द्वितीय आवेदक (यदि कोई हो)
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

जन आवास योजना

के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तावित योजना में फ्लेट के आवंटन हेतु आवेदन फार्म

प्रोजेक्ट का नाम :



मकान की श्रेणी : 1 BHK (EWS) 2 BHK (LIG)

प्रथम आवेदक

द्वितीय आवेदक

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :
2. पिता / पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. राष्ट्रीयता :
5. वैवाहिक स्थिति :
(अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर)
6. स्थायी पता :
7. दूरभाष/मोबाईल नं. :
8. वर्तमान पता :
9. अगर आवास किराये का है तो मासिक किराया :
10. पत्राचार का पता (स्थाई पता/वर्तमान पता/ऑफिस का पता) :
11. शैक्षणिक योग्यता :
12. विकलांगता :
13. ई-मेल :
14. व्यवसाय का स्वरूप (नौकरी/व्यवसाय/अन्य) :

15. सेवारत कर्मचारी का विवरण (यदि कोई हो) :
(क) संस्था का नाम :
(ख) संस्था का प्रकार (साझेदारी/प्रोपराईटर) :
पब्लिक लि./प्रा.लि./गवर्नमेंट/अन्य) :
(ग) पद :
(घ) ऑफिस/कार्यस्थल का पता :
16. आवेदक की कुल वार्षिक आय :
 1. स्वयं की :
 2. पति / पत्नी की :
 3. आश्रित की :
 4. अन्य स्रोतों की कुल आय :
17. पैन कार्ड संख्या :
18. आश्रितों की संख्या :
19. पहचान पत्र :-
आधार कार्ड संख्या/भामाशाह कार्ड/
युनिक पहचान-पत्र संख्या/
मतदाता पहचान पत्र/
झाइविंग लाईसेंस :
20. पंजीयन राशि के चेक/डी.डी. का विवरण :
बैंक का नाम एवं शाखा राशि :
चैक / ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक :
21. आवेदक के खाते का प्रकार (चालू/बचत) :
बैंक का विवरण :
खाता संख्या :
बैंक का नाम :
शहर का नाम :
बैंक का आई.एफ.सी.कोड (IFSC Code) :
(जमा राशि लौटाने के प्रयोजन हेतु सूचना आवश्यक है)

प्रथम आवेदक
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

द्वितीय आवेदक (यदि कोई हो)
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

प्रथम आवेदक
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

द्वितीय आवेदक (यदि कोई हो)
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

22. विभिन्न बैंकों से वर्तमान में :
बकाया ऋण का विवरण (अगर कोई है)

23. ऋण आवश्यकता की राशि :

24. आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें :

1. आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट / चैक
2. आवेदक के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज (आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड/युनिक पहचान-पत्र/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाईसेंस), आय प्रमाण पत्र,

25. मेरे द्वारा योजना की भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित दस्तावेजात का भली भाँति परीक्षण कर लिया गया है, मैं पूर्णतया सन्तुष्ट हूँ ।

26. यह कि मेरी/हमारी मृत्यु होने की दशा में निम्नलिखित व्यक्तियों को कमानुसार उत्तराधिकारी मनोनित करता/ करती हूँ :-

क्र.सं.	नाम	आयु	सम्बन्ध
प्रथम
द्वितीय

सत्यनिष्ठा कथन (घोषणा)

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. यह कि मैंने M/s Manglam Build-Developers Ltd. द्वारा जन आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित योजना.....में प्लैट के आवंटन हेतु आवेदन किया है ।
2. यह कि उक्त आवेदन पत्र में वर्णित सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।
3. यह कि मैंने आवेदन से पूर्व आवंटन की शर्तों को पढ़ तथा समझ लिया है और मैं उनका पालन किये जाने के लिए बाध्य हूँ ।
4. यह कि मेरा या मेरे आश्रित का राजस्थान का शहरी क्षेत्र में कोई आवास नहीं है ।

शपथ पत्र

सभी आवेदकों के लिए

1. मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री जाति हाल निवास तहसील जिला में निवास करता/करती हूँ कि :-
2. यह कि जन आवास योजना के अन्तर्गत **M/s Manglam Build-Developers Ltd.** की प्रस्तावित बहुमंजिला आवासीय परियोजना.....की मार्ग दर्शिका में वर्णित की गई शर्तों व प्रावधानों को भली भाँति समझकर मेरे द्वारा EWS/LIG आय वर्ग में आवास हेतु आवेदन किया गया है ।
3. यह कि विकासकर्ता/फर्म **M/s Manglam Build-Developers Ltd.** द्वारा निकाली गई लाटरी में जिस तल पर जो भी आवास मुझे आरक्षित होगा, वह मुझे स्वीकार्य होगा ।
4. यह कि मैं आवेदन पुस्तिका में दी गई समस्त शर्तों की पालना हेतु बाध्य रहूँगा/रहूँगी ।
5. यह कि आवेदन पुस्तिका की तालिका 'क' में वर्णित देय राशि का मेरे द्वारा निर्धारित समय पर भुगतान किया जायेगा ।
- 6- यह कि मेरे द्वारा निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर विकासकर्ता/फर्म को बिना कोई सूचना दिये आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा ।
- 7- यह कि मेरे पास स्वयं या पत्नी/पति/आश्रित के नाम से राजस्थान राज्य के किसी भी शहरी क्षेत्र में नगरपालिका, नगर विकास न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण, आवासन मण्डल द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड एवं आवास नहीं है ।
8. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा यदि मिथ्या कथन की कोई बात विकासकर्ता/फर्म के संज्ञान में आती है तो विकासकर्ता/फर्म को मेरा आवेदन पत्र/आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा

(नोटेरी द्वारा सत्यापित)

(आवेदक के हस्ताक्षर)

शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए एवं नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/तहसीलदार कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए ।

प्रथम आवेदक
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

द्वितीय आवेदक (यदि कोई हो)
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

प्रथम आवेदक
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

द्वितीय आवेदक (यदि कोई हो)
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

शपथ पत्र

(गैर वेतन भोगी आवेदको के लिए आय प्रमाण पत्र हेतु)

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री जाति हाल निवास..... तहसील जिला सशपथ बयान करता/करती हूँ कि समस्त स्रोतों से मेरी मासिक आय निम्न प्रकार है :-

1. यह कि व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि, दुकान या अन्य स्रोतों से मेरी स्वयं की मासिक आय, रु. है।
2. यह कि व्यापार में भागीदारी, उद्योग, एजेन्सी दुकान, कृषि, अथवा अन्य स्रोतों से मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्रों/पुत्री/दत्तक पुत्र/ दत्तक पुत्री की आय रु. है।

शपथग्रहिता

सत्यनिष्ठा

मैं उपरोक्त शपथकर्ता सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 से 2 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सही व सत्य हैं, मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरी रक्षा करे।

सत्यापनकर्ता


शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए एवं नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/तहसीलदार कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

प्रथम आवेदक
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

द्वितीय आवेदक (यदि कोई हो)
हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी



1 BHK Saleable Area (Approx) **425.00** Sq. ft.



2 BHK 2 Toilet Saleable Area (Approx) **600.00** Sq. ft.